HRA Sazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1024] No. 1024] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 26, 2005/आश्विन 4, 1927 NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 26, 2005/ASVINA 4, 1927

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2005

का.आ. 1391(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, धारा 8 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शिस्तियों का प्रयोग करते हुए ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 बनाए थे;

और आधार स्तर के कार्बन टैट्राक्लोराइड (सीटीसी) का 85 प्रतिशत उत्पादन और उपभोग (जिसके उत्पादन और उपभोग का औसत वर्ष 1998 से 2000 के दौरान क्रमश: 11553 ओडीपी टन और 11505 ओडीपी टन होता है) गैर-आहार स्टाक के प्रयोजन के लिए मान्ट्रीयल प्रोटोकोल के अधीन लागू नियंत्रण उपायों के रूप में 1-1-2005 तक क्रमिक रूप से किया जाना अपेक्षित है और इसका शत-प्रतिशत उत्पादन और उपभोग 1-1-2010 तक क्रमिक रूप से किया जाना है तथा इस प्रयोजन के लिए मान्ट्रीयल निधि ने भारत में उक्त कार्बन टैट्राक्लोराइड परियोजना के लिए 52 मिलियन अमरीकी डालर उत्पादन और उपभोग करने वाली इकाइयों के लिए वित्तीय सहायता के रूप में मंजूर किए हैं;

और उक्त नियमों में, अनुसूची 1 के समूह 4 में सूचीबद्ध पदार्थों (सीटीसी) के संबंध में 31 दिसम्बर, 2004 से पूर्व अभिहित प्राधिकारी के पास रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षा की गई थी;

और यह देखा गया है कि 31 दिसम्बर, 2004 से पूर्व ऐसे रिजस्ट्रीकृत कार्बन टैट्राक्लोराइड उपयोक्ताओं की, जिनका कार्बन टैट्राक्लोराइड का वार्षिक उपयोग देश में कार्बन टैट्राक्लोराइड के आधार स्तर के उपभोग के संबंध में क्रमिक रूप से किए जाने के लिए अपेक्षित मात्रा से काफी कम था, संख्या कम है। इसको ध्यान में रखते हुए, कार्बन टैट्राक्लोराइड का उपयोग करने वाले ऐसे उद्यमों का पता लगाने के लिए, जो उपरोक्त नियमों के अधीन अधिहित प्राधिकारी के पास रिजस्ट्रीकृत नहीं थे, पारस्परिक रूप से जांच-पड़ताल की गई थी। केन्द्रीय सरकार, 31 जुलाई, 2005 तक बड़ी संख्या में अरिजस्ट्रीकृत कार्बन टैट्राक्लोराइड उपयोक्ताओं की सूची अभिप्राप्त करने पर, यह आवश्यक समझती है कि इन शेष कार्बन टैट्राक्लोराइड उपयोक्ताओं को पूर्वींक्त प्रोटोकोल के निबंधनानुसार अपने को रिजस्ट्रीकृत करने और ओजोन परत के संरक्षण के लिए आशियत निधियों का उपयोग करने के लिए अनुज्ञात किया जाए और उस प्रयोजन के लिए, इन कार्बन टैट्राक्लोराइड उपयोक्ताओं के रिजस्ट्रीकरण के लिए समयाविध का विस्तार करना आवश्यक है:

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 का संशोधन करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (ख) के अधीन सूचना की अपेक्षा को अभिमुक्त करना लोकहित में है;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, धारा 8 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) संशोधन नियम, 2005 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण)
 नियम, 2000 की अनुसूची 5 में, क्रम संख्या 4 के सामने स्तंभ (5)

में, ''31 दिसम्बर, 2004 या उससे पूर्व'' अंकों और शब्दों के स्थान पर ''31 दिसंबर, 2005 या उससे पूर्व'' अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

> [फा. सं. 16/1/96-ओ.सी.] एस. के. जोशी, संयुक्त सचिव

टिप्पण:— ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000, भारत के राजपत्र में सं. का.आ. 670(अ), तारीख 19 जुलाई, 2000 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सं. का.आ. 1283(अ), तारीख 31 दिसम्बर, 2001, सं. का.आ. 996(अ), तारीख 27 अगस्त, 2003 और का. आ. 929(अ), तारीख 16 अगस्त, 2004 द्वारा उन्हें संशोधित किया गया।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS NOTIFICATION

New Delhi, the 26th September, 2005

S.O. 1391(E).—Whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by Sections 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), made the Ozone Depleting Substances (Regulations and Control) Rules, 2000;

And whereas, 85 per cent production and consumption of carbon tetrachloride (CTC) of the base level (having an average of its production and consumption during the years 1998 to 2000 that comes to 11553 ODP tons and 11505 ODP tons respectively) for non-feedstock purpose which is required to be phased out by 1-1-2005 and 100 per cent of its production and consumption to be phased out by 1-1-2010, as control measures applicable under the Montreal Protocol and for this purpose the Multilateral Fund has sanctioned US \$ 52 million for the said CTC project in India as financial assistance to the producing and consuming units;

And whereas, the said rules required registration with the designated authority with regard to the substances (CTC) listed in Group IV of Schedule I before 31st December, 2004;

And whereas, it was noticed that the number of CTC users registered before 31st December, 2004, whose annual use of CTC was far below the quantity required to be phased out with respect to the base-level consumption of CTC in the country. In view of this, an interactive search was made to identify enterprises using

CTC which have not registered with the designated authority under the above said rules. On obtaining a list of significant number of unregistered CTC users by 31st July, 2005, the Central Government considered it necessary to allow these remaining CTC users to get themselves registered in terms of the above said Protocol and utilize the funds meant for protection of the ozone layer, and for that purpose it is necessary to extend the time period for registration of these CTC users;

And whereas, the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the Ozone Depleting Substances (Regulations and Control) Rules, 2900;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sections 6,8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Ozone Depleting Substances (Regulations and Control) Rules, 2000, namely:—

- 1. (1) These rules may be called the Ozone Depleting Substances (Regulations and Control) Amendment Rules, 2005.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Ozone Depleting Substances (Regulations and Control) Rules, 2000, in Schedule-V, against serial number 4, in column (5), for the words, figures and letters "on or before 31st December, 2004", the words, figures and letters "on or before 31st December, 2005" shall be substituted.

[F. No. 16/1/96-OC] S. K. JOSHI, Jt. Secv.

Note:— The Ozone Depleting Substances (Regulations and Control) Rules, 2000 were published in the Gazette of India, vide number S.O. 670(E) dated the 19th July, 2000 and, subsequently amended vide numbers S.O. 1283(E) dated the 31st December, 2001, S.O. 996(E) dated the 27th August, 2003 and S.O. 929(E) dated 16th August, 2004.